लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 137वीं बैठक दिनांक 16 मार्च, 2009 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री प्रशान्त त्रिवेदी	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री रमाशंकर साहू विशेष सचिव आवास	प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4.	श्री प्रताप सिंह भदौरिया अपर नगर आयुक्त	प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6.	इं0 डी0पी0सिंह	मुख्य अभियन्ता, जल निगम लखनऊ।
7.	श्री सी0पी0शर्मा मुख्य वास्तुविद नियोजक	प्रतिनिधि–आवास आयुक्त,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
8.	श्रीमती प्रभावती सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
9.	श्री राम कृष्ण यादव	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थिति :

10.	श्री मणि प्रसाद मिश्र	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
11.	श्री अवधेश कुमार	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री एस0बी0 मिश्र	संयुक्त निदेशक (भू0 / वि0), ल0वि0प्रा0।
13.	श्री रवि जैन	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

विषय संख्या : 1

गोमती नगर में गाँधी सेतु से लखनऊ—बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन तक नदी के बाएं तटबन्ध पर निर्मित बन्धे का प्रयोग सड़क के रूप में करने, बन्धे पर निर्मित चौकी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने तथा भागीदारी भवन के दोनों ओर के क्षेत्र, जिसका भू—उपयोग महायोजना 2021 में खुला क्षेत्र एवं हरित पट्टी है, पर अवरोध हटाने के प्रकरण पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विस्तार से विचार—विमर्श हुआ। यह अवगत कराया गया कि गोमती नदी का बायॉ तटबन्ध जो कि होटल ताज से रेलवे लाइन तक निर्मित है, रेलवे लाइन के समीप पहुँच कर समाप्त हो जाता है। इस तटबन्ध के एक ओर नदी है एवं दूसरी ओर सहारा शहर की बाउण्ड्रीवाल तथा डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल स्थित है। यह तटबन्ध वर्तमान में किसी कालोनी या किसी अन्य रिहायसी क्षेत्र में नहीं खुलता है। यह भी अवगत कराया गया कि तटबन्ध के नीचे ताज होटल चौराहे से भागीदारी भवन चौराहे के ओर जो सड़क बनी हुई है उस पर भी यातायात नहीं है, क्योंकि इस सड़क पर कोई कालोनी या अन्य रिहायसी क्षेत्र नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि सहारा शहर चौराहे से भागीदारी भवन चौराहे तक जो सड़क है, उस सड़क से केवल भागीदारी भवन के पीछे स्थित सृजन बिहार कालोनी के लोग ही आते जाते हैं एवं उनके लिए भागीदारी भवन के पूर्वी सीमा पर कालोनी का गेट उपलब्ध है, वे इसी गेट का प्रयोग आवागमन के लिए करते हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि इन कारणों से भागीदारी भवन के पश्चिमी तथा उत्तरी किनारे के दोनों सड़कों पर वाहनों का आवागमन नहीं है। सृजन बिहार कालोनी के निवासियों के लिए

आवागमन हेतु भागीदारी भवन के पूर्वी किनारे पर पर्याप्त एप्रोच रोड उपलब्ध है एवं वर्तमान में इसी एप्रोच का उपयोग किया जा रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि इन्हीं परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन द्वारा भागीदारी भवन के पश्चिमी एवं उत्तरी ओर सड़क की भूमि का भू–उपयोग सड़क (यातायात) से पार्क एवं खुले स्थल तथा बन्धे पर भागीदारी भवन से आगे की भूमि का भू–उपयोग भी सड़क (यातायात) से पार्क एवं खुले स्थल में परिवर्तन किया गया है, जिसकी अंतिम अधिसूचना शासन द्वारा जारी की जा चुकी है।

प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लखनऊ बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन के इस पार के क्षेत्र यथा–गोमती नगर, इन्दिरा नगर तथा एच.ए.एल. आदि को रेलवे के उस पार के क्षेत्र यथा–गोमती नगर विस्तार, सुल्तानपुर रोड एवं रायबरेली रोड के क्षेत्र से जोड़ने हेतु सहारा शहर व विपुल खण्ड के बीच 30 मीटर चौड़ी एप्रोच रोड तथा रेवले लाइन पर रेलवे उपरिगामी सेतु (आर.ओ.बी.) का निर्माण प्रारम्भ कराया गया है। यह एप्रोच रोड एवं आर.ओ.बी. निर्मित हो जाने के उपरान्त रेलवे लाइन के दोनों ओर के क्षेत्रों को जोड़ने हेतु अपेक्षाकृत कम दूरी का एवं सुगम यातायात मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। यह भी अवगत कराया गया कि विपुल खण्ड व सहारा शहर के बीच निर्मित एप्रोच रोड तथ आर.ओ.बी. गोमती नगर विस्तार के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों को इस पार से उस पार जाने हेतु अपेक्षाकृत कम दूरी चलनी पड़ेगी। इस प्रकार यह मार्ग अधिक उपयुक्त होगा।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी तथा उपरोक्त तथ्यों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बन्धे पर निर्मित पुलिस चौकी/बाढ़ नियंत्रण कक्ष को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने का कोई औचित्य नहीं है साथ ही साथ भागीदारी